बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कार्यालय – होशंगाबाद मार्ग, भोपाल – 462026

क्र. D-219 / छा0क0 / नि0छा0 / 2022–23 भोपाल दिनांक 20-12-2022

/ /अधिसूचना/ /

विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों में अध्ययनरत निर्धन छात्र/छात्राओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/08/2014 पद क्रमांक 24/7/31 में विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित गया था। निर्धन छात्रों के शिक्षण शुल्क हेतु वित्तीय सहायता के लिए आयोजित बैठक दिनांक 16.02.2021 के कार्यवृत्त के अनुसार निम्नलिखित मापदण्ड पूर्ण करने वाले विद्यार्थी निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपने आवेदन पत्र दिनांक 10 जनवरी 2023 तक छात्र कल्याण विभाग में जमा कर सकते है।

निर्धन विद्यार्थियों हेतु योग्यता/पात्रता एवं अन्य नियम निम्नानुसार है:–

1. निर्धन छात्र/छात्राओ के आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 है।
2. निर्धन छात्र/छात्राओ को वित्तीय सहायता हेतु पात्रता राज्य शासन द्वारा निर्धारित बी.पी.एल. कार्ड, तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र एवं परिवार के मुखिया द्वारा शपथ प्रमाण पत्र जिसमे उल्लेख करना होगा कि हमारे परिवार की वार्षिक आय रूपयें 75000/–(पचहत्तर हजार रू).से अधिक नही है तथा मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र अन्य किसी भी शासकीय संस्थान में प्रस्तुत नही किया गया है।
3. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सामान्य पाठ्यक्रम एंव व्यावसयिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओ को शिक्षण शुल्क में पूर्ण पाठ्मक्रम हेतु सहयोग राशि प्रदान की जावेगी।
4. विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण विभाग में बी0यू0आई0टी0, फार्मेसी, प्रबंध (एम बी ए) एवं विधि विभाग के छात्रों को ही मान्य किया जावेगा।
5. निर्धन छात्र/छात्राओ को शिक्षण शुल्क में सहयोग राशि प्रदान करने हेतु समिति का गठन किया जाकर समिति के निर्णय अनुसार शिक्षण शुल्क राशि प्रदान की जावेगी। समिति द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं को अनुशंसा के आधार पर ही शिक्षण शुल्क मे सहयोग की राशि स्वीकृत की जावेगी।
6. निर्धन छात्रों को शिक्षण शुल्क हेतु वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय के बजट मद क्रमांक 24 (5) से विकलनीय होगी।
7. व्यावसायिक एवं सामान्य पाठ्यक्रमों के चार – चार छात्र/छात्राओ को शैक्षणिक शुल्क में पूर्णकालिक पाठ्यकम हेतु सहायता राशि प्रदान की जावेगी। डिप्लोमा एवं अंशकालीन सर्टिफिकेट पाठ्यकमों के लिए सहायता राशि प्रदान नही की जायेगी।
8. निर्धन विद्यार्थी संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप के साथ अपने माता–पिता एवं स्वयं का आधार कार्ड की प्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न करेगे।
9. प्रवेश के समय या पूर्व सेमेस्टर या वार्षिक रूप मे छात्र–छात्राओं द्वारा जो शैक्षणिक शुल्क राशि विश्वविद्यालय में जमा की गई होगी, वह वापिसी योग्य नही होगी।
10. जिन निर्धन छात्र–छात्रओं को दी जाने वाली शैक्षणिक शुल्क में सहायता राशि प्रदान की जावेगी उन्हें पूर्व सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं में निरन्तरता में उतीर्ण होना आवश्यक है।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय समस्त पूर्व सेमेस्टरों अथवा वार्षिक परीक्षाओं की मार्कशीट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदन पत्र एवं समस्त संलग्न प्रमाण–पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष से सत्यापित एवं अग्रेषित होना चाहिए।
13. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रो पर कोई विचार नही किया जावेगा।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

पृ.क्रमांक D-219 / छा0क0 / नि0छा0 / 2022—23 भोपाल दिनांक 20.12.2022

प्रतिलिपिः—

1. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग, बरकतउल्ला वि0 वि0 भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि अधिसूचना को सूचना पटल पर चस्पा एवं विद्यार्थियों को ऑनलाईन क्लास / कक्षा में अवगत कराने का कष्ट करे।
2. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति जी एवं कुलसचिव जी की ओर सादर सूचनार्थ।
3 वित्त नियंत्रक, एवं अंकेक्षण विभाग, बरकतउल्ला वि0 वि0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4 प्रभारी ,वेबसाइट सेल बरकतउल्ला वि0वि0 भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि अधिसूचना एवं संलग्न आवेदन पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे, ताकि विद्यार्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सके।
5 नस्ती।

अधिष्ठाता,छात्र कल्याण
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल